न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 01/2016/अजमेर (2016/00021)

श्री अरिहंत लोढ़ा पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार लोढ़ा, लोढ़ा हवेली, नया बाजार, अजमेर

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 सपठित नियम 55 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक 3944 दिनांक 13–3–2015 एवं 19290 दिनांक 26–10–2015

———

उपस्थितः 1– श्री ललित कुमार सोगानी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 18-3-2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उसके पिता स्व0 श्री राजेन्द्र लोढ़ा के नाम से जारी एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/95 एसबीएम. एल गन जो कि 31–12–2015 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 1–2–2014 को होने के कारण उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलार्थी के नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, उप वन संरक्षक अजमेर तथा तहसीलदार अजमेर से रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की हैसियत को ठीक बताया तथा पिता से स्थानान्तरण एवं पैतृक सम्पत्ति की आत्मरक्षा हेतु लाईसेंस दिये जाने में कोई आपत्ति नही होने से लाईसेन्स दिया जाना उचित बताया। उक्त रिपोर्ट के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने पत्र कमांक 3944 दिनांक 13–3–2015 एवं पत्र कमांक 19290

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

दिनांक 28–10–2015 में शस्त्र प्राप्ति हेतु उल्लेखित कारण संतोषजनक नहीं होने का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील **Sub-to-limitation** दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 13–3–2015 की प्रति दिनांक 25–5–2015 को प्राप्त हुई उसके पश्चात उक्त संबंध में अन्य दस्तावेजात इकट्ठे कर एवं वकील से राय प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी की तिथि से निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी का अपीलार्थी ने उसके पिता स्व0 श्री राजेन्द्र लोढ़ा के नाम से जारी एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/95 एसबीएम.एल गन जो कि 31–12–2015 तक नवीनीकृत था। शस्त्र अनुज्ञा पत्र रसीद संख्या 0273 दिनांक 28–2–2014 से प्राधिकृत डीलर मैसर्स हाजी अमीन अहमद खान एण्ड संस को जमा करा दी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी के चाल चलन बाबत सीआईडी जयपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, अजेर, उप वन संरक्षक, अजमेर एवं तहसीलदार, अजमेर से रिपोर्ट चाही गई। उक्त सभी विभागों द्वारा लाईसेंस देना उचित बताया गया है। क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वारा भी अपने पत्र कमांक 1723 दिनांक 24–12–2014 के द्वारा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के पिता श्री राजेन्द्र कुमार लोढ़ा के विरूद्ध पिछले 10 वर्षो में वन्य जीवों के अवैध शिकार/आखेट का कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना और न ही उक्त अधिनियम के तहत कोई सजा होने बाबत् अवगत कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को अपीलार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र एवं पारिवारिक सजरा भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी सजरे अनुसार स्व0 राजेन्द्र

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

कुमार लोढ़ा का एक मात्र पुत्र है। अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष अपने पिता के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलार्थी के नाम जारी करने हेतु आवेदन किया था। उक्त शस्त्र अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम लगभग 70–80 वर्षो से है। बाद में अपीलार्थी के दादा श्री जतनमल लोढ़ा को हस्तांतरित कर दिया गया था जिन्होंने अपने बेटे स्व श्री राजेन्द्र कुमार लोढ़ा को दिनांक 5–9–1995 को परिवार के अनुसार वैध के रूप में उपहार में दिया था। शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार कुलागत नीति के तहत पिता का शस्त्र पुत्र के नाम जारी किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने विभिन्न विभागों से अपीलार्थी के पक्ष में सूचना प्राप्त होने के बावजूद प्राप्त अनापत्तियों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र बिना कोई वैध कारण बताये अस्वीकार कर दिया। किसी भी अर्थोरिटी ने अपीलार्थी को अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी है। अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/95 एसबीएम.एल गन विरासत से मिली है। अपीलार्थी अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए लाईसेंस की अनुमति चाह रहा है राज्य सरकार ने विरासत से मिले हथियार का लाईसेंस मृतक के वारिसों को दिये जाने के लिए विशेष प्रावधान किये है। इन प्रावधानों के तहत भी अपीलार्थी शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–3–2015 एवं 26–10–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र शस्त्र प्राप्ति हेतु उल्लेखित कारण संतोषजनक नहीं होने के कारण खारिज किया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 13–3–2015 एवं 26–10–2015 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी ने उसके पिता स्व0 श्री राजेन्द्र लोढ़ा के नाम से जारी एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/95 एसबीएम.एल गन जो कि 31–12–2015 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 1–2–2014 को होने के कारण उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलार्थी के नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

यहां यह उल्लेखनीय होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में विषय वस्तु को दो भागों में विभक्त किया जावे। प्रथमतः (1) नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिए अपीलार्थी के द्वारा आवेदन की आवश्यकता एवं अपीलार्थी की पात्रता, एवं (2) **Family heirloom policy** के तहत शस्त्र का हस्तांतरण (Transfer)। इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. शस्त्र हेतु अनुज्ञा के आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा यह दर्शाना आवश्यक होता है कि किस कारण हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 11 " शस्त्र की आवश्यकता में केवल **"for transfer of SBML gun from my father to me cover under Licence No. 1/95 valid upto 31.12.2015"** बाबत ही अंकन किया गया है, किन्तु किस कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा गया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2. अपीलार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक न्याय/शस्त्र/2014/10965 दिनांक 6–6–2014 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में 6 बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई थी जिसके बिन्दु संख्या 6 में **"भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो अथवा Family heirloom policy के तहत हो तो उसका भी परीक्षण कर रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया जावे। "**

   जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक प0के0/नवीन शस्त्र/2014/40 दिनांक 29–7–2014 से उक्त सबंध में प्रेषित बिन्दुवार रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6 में केवल **Family heirloom policy** के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है। बिन्दु संख्या 6 की शेष रिपोर्ट जो **"भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी से जानमाल का खतरा हो, प्रार्थी को किसी ने धमकी दी हो, प्रार्थी ने उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई हो "** के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित नहीं की गई है जो उचित नहीं है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की पत्रावली की आदेशिका पैरा एन/26 की निरन्तरता के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी टिप्पणी में यह अंकित किया गया है कि **"शस्त्र की आवश्यकता में आवेदन में भी मात्र "शस्त्र का Transfer " उल्लेखित है, असंतोषजनक कारण होने से निरस्त। सूचित करे। "**
4. अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21–5–2015 को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–3–2015 को वापस लिये जाने (Recalled) तथा अपीलार्थी के मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 5–3–2014 के आधार पर नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत निवेदन किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 21–5–2015 के अनुसरण में पुनः एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12–10–2015 को प्रस्तुत किया गया जिसकी पुस्त पर ही दिनांक 26–10–2015 का आदेश मूल पृष्ठांकन

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

आदेश कमांक 19290 दिनांक 26–10–2015 से अपीलार्थी को यह सूचित किया गया कि " **इस कार्यालय द्वारा अस्वीकार कर निर्णय से आपको अवगत करा दिया गया है, अब इस कार्यालय से कोई कार्यवाही अब अपेक्षित नहीं है। सूचित रहे।**"

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांकित 13–3–2015 एवं 26–10–2015 समुचित, विवेकपूर्ण, स्पीकिंग एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर) का आदेश कमांक कअ/न्याय/ 2015/3944 दिनांक 13–03–2015 समुचित, विवेकपूर्ण, स्पीकिंग एवं विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner